

10/10/17

तहसीलदार अजमेर के पत्र दिनांक 10/10/17 प्राप्त होने पर पत्रावली आज फेंक डूई। पत्रानुसार न्यायालय के आदेश दिनांक 20/09/17 के प्रथम पेज के पैरा एच की प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पेज के प्रथम पैरा की द्वितीय पंक्ति में सहवन से ग्राम लोहागल के स्थान पर सेंडरिया टंकित हो गया है, जिसे ग्राम "लोहागल" संशोधित किये जाने / पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। संशोधन का अंकन मूल आदेश में लाल रखाही से डूई होकर पत्रावली इग्रेडिबल दफ्तर है।

10/10/17  
(गौरव गोयल)  
जिला कलक्टर, अजमेर